

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (जेडा)

तृतीय तल्ला, एस0एल0डी0सी0 भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, राँची-834002
फोन संख्या-0651-2491161, फैक्स संख्या-0651-2491165, email: info@jreda.com

सिंचाई कार्य हेतु सोलर पम्प कार्यक्रम

एतद् द्वारा सभी किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा 1.0 एच.पी., 2.0 एच.पी. एवं 5.0 एच.पी. का सोलर पम्प सेट अपने बोरिंग में लगाने हेतु आवेदन जेडा कार्यालय में जमा किया गया है, से अनुरोध है कि लाभुक अंशदान की राशि का बैंक ड्राफ्ट "**Director, JREDA**" के पदनाम से, जो राँची में भुगतेय हो एवं नोटरी शपथ-पत्र के साथ 30 नवम्बर 2016 तक जेडा कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। सोलर पम्प की क्षमता, बोरिंग का साईज एवं लाभुक अंशदान की विवरणी निम्नवत् है:-

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	बोरिंग का साईज	लाभुक अंशदान (10 प्रतिशत) (रु0 में)
1	1.0 एच.पी.	4 / 6 ईंच	19,837 / -
2	2.0 एच.पी.	6 ईंच	22,700 / -
3	5.0 एच.पी.	8 ईंच	48,480 / -

संबंधित लाभुकों (किसानों) की सूची जेडा वेबसाईट: www.jreda.com पर अपलोड किया गया है। वैसे किसान जिनके पास पर्याप्त साईज का बोरिंग नहीं है, लाभुक अंशदान जेडा कार्यालय में जमा नहीं करें। बोरिंग चालू हालत में नहीं रहने पर सोलर पम्प अधिष्ठापित नहीं किया जा सकेगा।

ह0/-
निदेशक,
जेडा, राँची।